गुजरात विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम हेतु प्रारूप संबोधन

———

आज गुजरात विधान सभा में आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम गुजरात विधान सभा के सभी सदस्यों, विशेष रूप से नव निर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

मैं माननीय श्री शंकर चौधरी जी को गुजरात विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। सर्वसम्मति से विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर माननीय श्री जेठा भाई भारवाड़ जी को भी हार्दिक बधाई।

मुझे आशा है कि आपके कार्यकाल में आप गुजरात विधान सभा की गौरवशाली लोकतान्त्रिक परंपराओं को और सशक्त करेंगे और आगे बढ़ाएंगे।

सर्वप्रथम,मैं समृद्धशाली राज्य गुजरात की पावन धरती को नमन करता हूँ। गुजरात धर्म और अध्यात्म की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है, महापुरुषों की धरती है। इस धरती ने हमारे देश को गांधी जी एवं सरदार पटेल जैसी कई महान हस्तियां दी हैं। आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में इस प्रदेश के नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह धरती देश के आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास का केंद्र है। यहाँ के उद्यमी, व्यापारी और लोग सदियों से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपनी क्षमता और योग्यता को साबित करते आए हैं।

गुजराती समाज जिस भी देश या प्रदेश में निवास करता है, वहाँ रोजगार और व्यापार करके उस राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गुजराती समाज ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सामाजिक आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मैं विश्व के कई देशों में गया हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर, चाहे अफ्रीका के देश हों या यूरोप के देश हों या संसार के अन्य हिस्सों के अंदर, गुजराती समाज के लोगों का उस देश के आर्थिक सामाजिक जीवन में, विकास में, समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के लोग अत्यंत लगनशील, परिश्रमी, निष्ठावान, ईमानदार एवं कर्मयोगी हैं।

गुजरात सौभाग्यशाली रहा है कि यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तीन बार नेतृत्व मिला है।

उनके सशक्त मार्गदर्शन में गुजरात में व्यापक आर्थिक, औद्योगिक, लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए हैं।

माननीय सदस्यगण, आप गुजरात के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके सामने जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार से इस लोकतान्त्रिक संस्था के माध्यम से यहाँ की जनता के सामाजिक, आर्थिक जीवन समृद्धि आए, उनके जीवन में रचनात्मक परिवर्तन करें।

गुजरात की इस 15वीं विधान सभा में अनुभव एवं नवीनता का अद्भुत संगम है। मुझे खुशी है कि इस विधान सभा में 82 सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं। यह हर्ष का विषय है कि मौजूदा विधान सभा में 15 महिला सदस्य हैं, जिनमें से 8 महिलाएं पहली बार चुनकर आई हैं।

इस विधान सभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें कई उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक परम्पराएं स्थापित हुई हैं।सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के आरंभिक वर्षों में अध्यक्षके रूप में

स्वर्गीय विट्ठलभाई पटेल ने असेम्बली की प्रक्रिया नियमों को सुस्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी।

हम प्रदेश की लोकतान्त्रिक संस्थाओं में चुनकर आए हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने हमें बड़ी अपेक्षा और आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है। ऐसे में हमारा यह दायित्व बन जाता है कि हम उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को इस सदन के माध्यम से पूरा करें। इसलिए यह संस्था चर्चा संवाद का केंद्र होना चाहिये। जिस तरीके से यहाँ के नेताओं का मार्गदर्शन रहा है, उसी प्रकार से हमारी चर्चा और संवाद का स्तर उच्चतम रहना चाहिए।

इसलिए हमें विधान सभाओं की नियम प्रक्रियाओं की जानकारी, संविधान की जानकारी, यहाँ की समृद्ध परंपराओं की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हुई उच्च कोटि की चर्चा और डिबेट्स का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। जितना राज्यों की विधान सभाओं में चर्चा संवाद का उच्च स्तर होगा, कानून बनाते समय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होगी, सभी पहलुओं को, तथ्यों के साथ सदन में रखेंगे, उतने ही अच्छे कानून बनेंगे। इसलिए सदन चर्चा, संवाद के प्रभावी केंद्र बनें ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त हो।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम अपने सदनों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए काम करें। सदनों में चर्चा के गिरते स्तर, सदन की कम होती गरिमा, हमारे लिए चिंता का विषय है।

आपमें से कई नए सदस्य चुनकर आये हैं। मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उत्कृष्ट विधायक वही होता है जो उत्कृष्ट कोटि की चर्चा संवाद में भाग लेता है। कानून बनाने में बेहतर तरीके से अपनी बात को सदन में रखता है, तर्कों के साथ रखता है।

लेकिन मेरी आज चिंता यह है कि तार्किक चर्चा संवाद की जगह, आज इन संस्थाओं का उपयोग निरर्थक आरोप लगाने के लिए होने लगा है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। हमें इस पर आत्म मंथन करने की आवश्यकता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि "एक मजबूत लोकतंत्र के लिए रचनात्मक आलोचना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में आलोचना एक 'शुद्धियज्ञ' की तरह है। रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र को समृद्ध बनाती है। परंतु सदन में मिथ्या आरोप – प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। निराधार आरोप लगाने से सदनों की गरिमा कम होती है।"

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन के अनुसार हम 'एक देश एक विधायी प्लेटफॉर्म' को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि देश के सभी विधान मंडलों के चर्चा संवाद को, वहाँ के कानूनों को एक स्थान पर ला सकें। बहुत जल्दी हम यह कार्य पूरा कर लेंगे।

विधान सभा के सदस्य होने के नाते हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस जनता की आवाज को, उनकी समस्याओं, उनकी कठिनाइयों को इन सदनों में रखें और सकारात्मक रूप से उनकी समस्याओं के समाधान करने का केन्द्र बिन्दु बनें।

संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। शासन में जवाबदेही लाने की होनी चाहिए। लेकिन, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है, जिस तरीके से सदनों में नियोजित तरीके से व्यवधान करके सदन स्थगित कराने की परंपरा बनाई जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन में चर्चा हो, डिबेट हो, डिसेन्ट हो, परंतु सदन में कभी भी गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमें उच्च कोटि की परंपरा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

सदन में जिन विधायकों ने अच्छे रचनात्मक कार्य किए हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए ताकि उनके श्रेष्ठ कार्यों, अनुभवों का लाभ दूसरे विधायकों को मिल सके।

सदन के अंदर हमें अपने नए चुनकर आए विधायकों को भी पर्याप्त समय और अवसर देना चाहिए, ताकि उनको अपनी बात सदन में रखने का मौका मिले।

नए विधायकों को यहाँ की परंपराओं, नियम-प्रक्रियाओं, यहाँ की पुरानी डिबेट्स एवं चर्चाओं का अध्ययन करना चाहिये। जितना वे अध्ययन करेंगे, कानून बनाते समय सदन में होने वाली चर्चा, डिबेट्स में उतने ही बेहतर ढंग से अपनी बात सदन में रखेंगे।

देश के किसी विधान सभा में नारेबाजी और शोरगुल से कोई सर्वश्रेष्ठ विधायक नहीं बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ विधायक तो बेहतर तरीके से, तर्कों से अपनी बात रखने से ही बन सकता है।

बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर विधायिका में नए नवाचार हुए हैं। जिस तरह सदनों में आईटी का उपयोग बढ़ा है, आपको भी अधिक से अधिक आईटी का उपयोग करना चाहिए।

विधान सभाओं को अपने रिसर्च विंग को सशक्त बनाने पर काम करना चाहिए। आपके यहाँ जो विधान सभा की समितियाँ हैं, उन समितियों में आपकी सक्रिय रूप से भागीदारी होनी चाहिए। संसदीय समितियों में चर्चा संवाद से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। यदि आप उन जानकारियों का उपयोग करके सदन में चर्चा संवाद करेंगे, तो आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे।

हमारा लोकतंत्र प्राचीनतम है। परंतु यदि हमारा लोकतंत्र प्राचीनतम है तो इस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखना और उसका संरक्षण और संवर्धन करना हम सबकी पहली जिम्मेदारी है। तभी हम लोकतंत्र की जननी के रूप में वैश्विक पटल पर एक सशक्त आवाज बन पाएंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें अपनी लोकतांत्रिक ताकत को जी-20 की अध्यक्षता के माध्यम से विश्व को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है।

अंत में मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि सदन के अंदर मर्यादित चर्चा और गरिमापूर्ण आचरण संसदीय लोकतंत्र के मूल में है। इसके लिए नियमों, परंपराओं और प्रक्रियात्मक साधनों आदि की एक विस्तृत व्यवस्था बनी हुई है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस व्यवस्था का समर्पण और निष्ठा के साथ पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसे अपने कार्यों, अनुभवों से और मजबूत और समृद्ध बनाने का काम करेंगे।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रबोधन कार्यक्रम आप सभी के लिए उपयोगी और लाभकारी होगा। भारत की संसद की प्राइड संस्था का प्रशिक्षण ब्यूरो आपके साथ हमेशा है।